राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 54/2011

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) खेतड़ी जिला झुन्झुनू, राज0

.......वादी

बनाम

1. छोटी पत्नी गणपत जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
2. रूड़मल पुत्र गणपत जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
3. मनोहरलाल पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
4. धनसीराम पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
5. नागरमल पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
6. जगदीश पुत्र मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
7. सुवा पत्नी मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया – मृतक

7/1 बुगली पुत्री श्री मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया

7/2 बिमला पुत्री मूलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया

8. अणची पत्नी स्व. झुंथाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया – मृतक
9. बीरबल पुत्र झुथाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
10. नाराणाराम पुत्र झुथाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
11. जयमल पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
12. रामकुवार पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
13. छोटुराम पुत्र मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
14. मेवा देवी पत्नी मालाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
15. मंगेजा पुत्र सुरजा जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
16. रामचन्द्र पुत्र सुरजा जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
17. झुमा पत्नी दोलाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
18. बलाराम पुत्र दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
19. सुरेश पुत्र दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
20. मंगलचन्द पुत्र दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
21. सन्तरा पुत्री दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
22. मूली पुत्री दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
23. छोटी पुत्री दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
24. नानची पुत्री दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
25. पांची पुत्री दोला जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
26. जयकोरी पत्नी श्योपाल जाति गुर्जर निवासी कांकरिया – मृतक
27. लीलाराम पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
28. प्रभूराम पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
29. घीसाराम पुत्र श्योपाल जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
30. सुण्डाराम पुत्र मांगू जाति गुर्जर निवासी कांकरिया – मृतक

30/1 रामेश्वर पुत्र सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया

30/2 रामजीलाल पुत्र सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया

30/3 बनारसी पुत्री सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया

30/4 किस्तुरी पुत्री सुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी कांकरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:17:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

31. जगनाथ पुत्र मांगू जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
32. मूलाराम पुत्र मांगू जाति गुर्जर निवासी कांकरिया
33. हरसाराम पुत्र मांगू जाति गुर्जर निवासी कांकरिया

.......प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय दिनांक 26–08–2020

यह वाद अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 (4) के अन्तर्गत इसे वाद पत्र माना गया और तदनुसार कार्यवाही की गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने निवेदन किया कि ग्राम काकरिया स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1680 रकवा 3.43 है. बंजड़ 2 छोटी पत्नी गणपत जाति गुर्जर निवासी कांकरिया हि0 1/18, रूड़मल पुत्र गणपत जाति गुर्जर निवासी कांकरिया हि0 3/10, मनोहरलाल, धनसीराम, नागरमल, जगदीश पुत्र मूलाराम सुवा पत्नी मूलाराम हि0 1/9, अणची पत्नी झुंथाराम, बीरबल, नाराणाराम पुत्र झुंथाराम हि0 3/4, जयमल, रामकुवार, छोटुराम पुत्र मालाराम, मेवा देवी पत्नी मालाराम हि0 1/4 दर हि0 1/9, मगेजा, रामचन्द्र पुत्र सुरजा हि0 1/9, झुमा पत्नी दोलाराम, बलराम सुरेश मंगलचन्द पुत्र दोला, सन्तरा पुत्री दोला मूली पुत्री दोला, छोटी, नानची, पांची पुत्रियां दोला हि0 1/6, जयकोरी पत्नी श्योपाल, लीलाराम, प्रभूराम, घीसाराम पुत्र श्योपाल हि0 1/3 दर हि0 1/3, सुण्डाराम, जगनाथ मूलाराम, हरसाराम पुत्र मांगू हि0 1/3 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि में से खसरा नंबर 1680 रकबा 3043 है. भूमि में खातेदारान द्वारा अपने हिस्से अनुसार बिना किसी स्वीकृति आदि के कृषि करने के बजाय अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। चूंकि राज्य सरकार ने कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। अतः अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड की जाये।

खातेदारान को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की सम्यक् रूप से तामील करवाई गई। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रश्नगत खातेदारी की भूमि से कभी बजरी का खनन नहीं किया है 2007 में भारी वर्षात होने के कारण काटली नदी में बहाव के कारण पत्थर, कंकड़ प्रतिवादीगण के खेत में आ गये थे जिससे भारी रकम खर्चकर प्रतिवादीगण ने तभी निकलवाया था और तभी से ये कृषि भूमि पुनः कृषि योग्य हो सकी थी। वादी को अनुतोष धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत देय प्रावधानों के तहत नहीं है। यह वाद वादी खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार, खेतड़ी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में फर्द मौका दिनांक 26.9.2010, नकल जमाबंदी संवत् 2074–77 खाता सं. 87 तथा पटवारी हल्का कांकरिया की रिपोर्ट दिनांक 4.03.2020 पेश की जिसके अनुसार ग्राम कांकरिया स्थित भूमि ख.नं. 1680 रकवा 3.43 है. की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि पर मौके पर खनन किया हुआ है। वर्तमान में उक्त खसरा नंबर 1680 को कृषि कार्य के काम में नहीं लिया जा रहा है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पटवारी हल्का कांकरिया की मौका रिपोर्ट दिनांक 4.03.2020 व फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 26.09.2010 की रिपोर्ट को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया गया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा वाद वर्णित भूमि में अवैध रूप से बजरी खनन किया गया है। खातेदारान द्वारा बिना भू रूपान्तरण करवाये ही भूमि का अकृषि उपयोग करना कतई अनुचित है एवं राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:17:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुंझुनूं)

Scanned with CamScanner

काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। खातेदारान द्वारा ऐसा करके स्पष्ट रूप से धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप अहितकर कार्य कर संविदा भंग की है व उसके खातेदारी अधिकार निरस्तनीय है। विवादित भूमि ख.नं. 1680 रकबा 3.43 है. कृषि प्रयोजनार्थ भूमि में खातेदारों को केवल कृषि करने का ही अधिकार प्रदान किया है। कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होने से राज्य हित को देखते हुए खातेदारान का नाम रिकॉर्ड से हटाकर राज्य सरकार के नाम भूमि दर्ज रिकॉर्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वाद वादी (तहसीलदार, खेतड़ी) स्वीकार किया जाकर ग्राम कांकरिया स्थित भूमि खसरा नंबर 1680 रकबा 3.43 हैक्टेयर भूमि को राजगामी घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार, खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि उक्त खसरा नंबर से खातेदारान का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें बेदखल करें व उक्त भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में राजकीय दर्ज करें। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26–08–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.01 16:17:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner